

23/11/25 पत्तावली पेरा दुरि। अधिवक्ता वापी उप.। अधिवक्ता
वापी द्वारा प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं पाहकर Not
proceed किया गया। अतः कोई कार्रवाई नहीं पाहने से कि
कार्रवाई शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को वही
स्तर पर प्रेषित किया जाता है। पत्तावली में

Not Proceed
23/11/2025



दिनांक

कार्यवाही विवरण

शुभार होकर गप्पर से कम ही।

निर्णय सुगमता वगैरे।